

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2016-फाल्गुन 21, शके 1937

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### उप-नाम परिवर्तन

मैं, रवि सागर आत्मज श्री पी. व्येकंटराव, निवासी-3/35-36, अम्बेडकर नगर, भोपाल में पूर्व में मेरा नाम रवि सागर था जो अब रवि सिरसाट हो गया है. सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में यही नाम लिखा/पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( रवि सागर )

(659-बी.)

नया नाम :

( रवि सिरसाट )

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार का पूर्व में नाम ठाकुर लाल बहादूर सिंह था जिसे वह परिवर्तित कर यश राज ठाकुर कर लिया है. अब मेरा पक्षकार भविष्य में शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में यश राज ठाकुर पुत्र श्री ठाकुर भूपति सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

कुणाल श्रीवास्तव,

(अधिवक्ता)

सीनियर एच. आई. जी.-51, ब्लॉक 10,  
सहयाद्रि परिसर, भदभद्रा रोड, भोपाल (म.प्र.).

(660-बी.)

#### नाम परिवर्तन

मेरा नाम हेमलता मण्डावी पिता श्री एस. एल. मण्डावी था जो विवाह पश्चात् श्रीमती अरुणि राजपूत पति श्री अमित सिंह राजपूत हो गया है. अतः मुझे श्रीमती अरुणि राजपूत पति श्री अमित सिंह राजपूत के नाम से जाना-पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय रिकार्ड में दर्ज कर इसी नाम से पत्र व्यवहार किया जावे.

पुराना नाम :

( हेमलता मण्डावी )

(661-बी.)

नया नाम :

( अरुणि राजपूत )

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मैं, श्रीमती जगजीत कौर, पत्नी श्री सर्वजीत सिंह के नाम से जानी-पहचानी जाती थी और इसी नाम से मैं अपने हस्ताक्षर करती थी और इसी नाम से मेरा पासपोर्ट स्वीकृत है। अब मैंने अपने नाम के साथ अपना उर्फ (Alias) लगा दिया है। इसीलिये मैं श्रीमती जगजीत कौर उर्फ नीरू सिंह पत्नी श्री सर्वजीत सिंह के नाम से वर्तमान में जानी-पहचानी जाती हूँ और इसी नाम से अपने हस्ताक्षर करती हूँ।

पुराना नाम :

( जगजीत कौर )

(662-बी.)

नया नाम :

( जगजीत कौर उर्फ नीरू सिंह )

पत्नी श्री सर्वजीत सिंह,

निवासी—501, मधुवन अपार्टमेन्ट, 31-श्रीराम कॉलोनी,

झांसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री कु. भूमि भूतड़ा और कु. महक भूतड़ा की अंकसूचियों में मेरा घरू नाम नीलम भूतड़ा त्रुटिवश अंकित हो गया है जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम श्रीमती कीर्ति भूतड़ा पत्नी श्री जगत नारायण भूतड़ा अंकित है जो कि पूर्णतः सही है। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्रीमती कीर्ति भूतड़ा पत्नी श्री जगत नारायण भूतड़ा के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पढ़ा-लिखा जावे। समस्त सूचित हों।

पुराना नाम :

( नीलम भूतड़ा )

(663-बी.)

नया नाम :

( कीर्ति भूतड़ा )

पत्नी श्री जगत नारायण भूतड़ा,

निवासी—चितेराओली, माधोगंज, लशकर,

ग्वालियर (म.प्र.).

**CHANGE OF NAME**

This is to inform to everyone that may name was WAHID KHAN PATHAN S/o ZARDAR KHAN PATHAN. I have it and my new name is VAHEED KHAN S/o JARDAR KHAN. So now everyone know me be my new name VAHEED KHAN S/o JARDAR KHAN.

Old Name :

( WAHID KHAN PATHAN )

S/o Zardar Khan Pathan.

(664-B.)

New Name :

( VAHEED KHAN )

S/o Jardar Khan,

Add—House No. B-2, Subhash Marg,  
word No. 1, Kantaphod, Dist-Dewas (M.P.).**नाम परिवर्तन**

मैं, श्रुति सुदामें पत्नी श्री शिरीष सुदामें मेरा शादी से पूर्व मेरे सभी दस्तावेजों में नाम निशा फलटनकर था। अब मुझे श्रुति सुदामें के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है।

पुराना नाम :

( निशा फलटनकर )

(665-बी.)

नया नाम :

( श्रुति सुदामें )

पत्नी-श्री शिरीष सुदामें,

निवासी—डी-9, फेस-1, गार्डन होम,

अल्कापुरी, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मैं, ज्योति ने विवाह उपरान्त अपना नाम परिवर्तन कर बिरिद्धी सितलानी कर लिया है। अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

( ज्योति )

(666-बी.)

नया नाम :

( बिरिद्धी सितलानी )

109, इन्द्रलोक कॉलोनी,

इन्दौर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम स्वाति घोडगांवकर पति दीपक घोडगांवकर है। मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में शोभना पिता बलवंतराव गोरे है एवं विवाह पश्चात् मेरा नाम स्वाति पति दीपक घोडगांवकर हो गया है।

अतः भविष्य में मुझे स्वाति दीपक घोडगांवकर के नाम से जाना जावें।

पुराना नाम :

( शोभना गोरे )

(674-बी.)

नया नाम :

( स्वाति दीपक घोडगांवकर )

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स आस एंड कं. जिसका पता 23-24, हमीदिया रोड, बैरसिया, भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पंजीयन क्रमांक 01/01/00019/14, वर्ष 2014-15, दिनांक 15-04-2014 पंजीयन फर्म है, जिसमें दिनांक 08-12-2015 से सुरेश पचौरी पुत्र श्री कालिका प्रसाद पचौरी, बंगला नं. 10, पुराना सचिवालय के सामने, भोपाल, मध्यप्रदेश नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं। आमजन व सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स आस एंड कं.,

**सुभाष शर्मा,**

( भागीदार )

23-24, हमीदिया रोड,

बैरसिया, भोपाल (म.प्र.).

(658-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स वर्धमान रेसीडेन्सी 112, साउथ सिविल लाईन्स, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्र. 04/17/01/00117/14, दिनांक 28-08-2014 को भागीदारी फर्म के रूप में निर्माण हुआ था. जिसमें कुल 9 भागीदार शामिल थे जो क्रमशः (1) महेन्द्र कुमार जैन, (2) अंशुल गोयल, (3) श्री अक्षित गोयल, (4) श्री धन्य कुमार जैन (गोयल), (5) श्री अमरेश गोयल, (6) श्रीमती मिथलेश गोयल, (7) श्रीमती शिल्पा गोयल, (8) श्रीमती प्रगति गोयल, (9) श्रीमती रितू गोयल थे. उक्त में से भागीदार क्रमांक (4) श्री धन्य कुमार जैन (गोयल), जी का स्वर्गवास दिनांक 10-08-2015 को हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं. अब फर्म में पंजीयन के समय के उक्त 08 भागीदार शेष रह गये हैं. उपरोक्त कारण से अब फर्म में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है. यदि किसी व्यक्ति को इस सन्दर्भ में कोई आपत्ति हो, तो वे प्रकाशन के दिनांक से सात दिनों के भीतर अपनी आपत्ती दर्ज करा सकते हैं बाद में आपत्तियां स्वीकार्य नहीं होगी.

भवदीय

**संगीत कुमार श्रीवास्तव,**

( एडवोकेट )

12, शिवम सुन्दरम नगर, छिन्दवाड़ा.

**अंसुल गोयल,**

( फर्म भागीदार )

**प्रदीप कुमार सरेठा,** ( एडवोकेट )

मानसरोबर कॉम्प्लेक्स, छिन्दवाड़ा.

(667-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स ए. एस. आर. इन्फ्राटेक ग्रुप, दुकान नं.-06, कुबेर अपार्टमेंट, आर. के. व्ही. एम. रोड, ग्वालियर (म.प्र.) ने अपनी साझेदारी फर्म में 18-02-2016 को संशोधन कर श्री राजकुमार सिंह चौहान पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, निवासी 16/150, कमल सिंह का बाग, लखर, ग्वालियर (म.प्र.) को फर्म से हटा दिया गया है भविष्य में फर्म से संबन्धित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा. शेष सभी साझेदार फर्म से संबन्धित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदारों को स्वीकार है.

मैसर्स ए. एस. आर. इन्फ्राटेक ग्रुप,

**अमित मिश्रा,**

( पार्टनर )

(668-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स अश्वमेघ ग्रुप फर्म का पंजीयन क्रमांक 05/26/01/00008/11, है. फर्म के पार्टनर श्री विवेक त्रिपाठी आत्मज श्री अशोक त्रिपाठी, पता एल. आई. जी. 6 मंदाकिनी विहार कॉलोनी, सिविल लाईन, सतना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से दिनांक 17-08-2015 से फर्म से रिटायर हो गये हैं जिनका फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा तथा द्वितीय भागीदारी विलेख में नये पार्टनर के रूप में पार्टनर नं. 02 श्रीमती मृदुला सिंह पत्नी राजपाल सिंह, पता भंवर जी हाउस ग्राम रेरूआ खुर्द, पो. पतवारा, तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र.) पार्टनर नं. 03 श्रीमती प्रज्ञा सिंह पत्नी श्री विक्रम बहादुर सिंह, पता भंवर जी हाउस रेरूआ खुर्द, पो. पतवारा, तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र.) पार्टनर नं. 04 श्री कार्तिकेय सिंह आत्मज स्व. युवराज प्रताप सिंह, पता C/o अभिनव पी. सी. ओ. बर्दाडीह चौराहा, मुख्यांगण, सतना (म.प्र.) दिनांक 17-08-2015 से फर्म के नये पार्टनर के रूप में शामिल हो गये हैं एवं फर्म का पता जो पूर्व में एल. आई.जी. 06 मंदाकिनी विहार कॉलोनी सिविल लाईन, सतना (म.प्र.) था. जो दिनांक 17-08-2015 को परिवर्तित होकर इण्डियन बैंक के बगल में गली नं. 03, राजेन्द्र नगर, सतना हो गया है. अतः जिस किसी को आपत्ति हो, तो वह प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें.

मैसर्स अश्वमेघ ग्रुप

विक्रम बहादुर सिंह,

(भागीदार)

पता-ग्राम रेरूआ खुर्द, पो. पतवारा,

जिला सतना (म.प्र.)

(669-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स गिरिराज डेवेलोपर्स एण्ड बिल्डर्स फर्म जिसका पता-1, गंगा श्री मार्केट जवाहर मार्ग, ट्रेंगल चौराहा, सनावद, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/30/09/00128/10, दिनांक 24-09-2010 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. मोहनलाल नीमा पिता श्री दामोदरदास नीमा, 2. श्री संजय नीमा पिता श्री दामोदरदास नीमा, 3. श्री राजेन्द्र कुमार सराफ पिता श्री रतनलाल सराफ, 4. श्री श्यामसुंदर माहेश्वरी पिता श्री बालकिशन माहेश्वरी, 5. श्री धर्मेन्द्र पुरोहित पिता श्री नवल किशोर पुरोहित एवं 6. श्री संजय बिड़ला पिता श्री जीवन लाल बिड़ला थे तत्पश्चात् दिनांक 03-02-2016 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री धर्मेन्द्र पुरोहित पिता श्री नवल किशोर पुरोहित एवं 2. श्री संजय बिड़ला पिता श्री जीवन लाल बिड़ला भागीदारी फर्म मैसर्स गिरिराज डेवेलोपर्स एण्ड बिल्डर्स से पृथक् हो गये हैं. इन भागीदारों ने फर्म मैसर्स गिरिराज डेवेलोपर्स एण्ड बिल्डर्स से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है. यह विदित हो.

तर्फे

मैसर्स गिरिराज डेवेलोपर्स एण्ड बिल्डर्स,

1. मोहनलाल नीमा पिता श्री दामोदरदास नीमा,

2. श्री संजय नीमा पिता श्री दामोदरदास नीमा,

3. श्री राजेन्द्र कुमार सराफ पिता श्री रतनलाल सराफ,

4. श्री श्यामसुंदर माहेश्वरी पिता श्री बालकिशन माहेश्वरी,

(भागीदार).

(670-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स श्रोत्रिय कन्स्ट्रक्शन, तोमर बिल्डिंग, गड घाट, इन्दरगंज चौराहा, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.) ने अपनी साझेदारी फर्म में 18-02-2016 को संशोधन कर श्री राजकुमार सिंह चौहान पुत्र श्री एस. एस. चौहान, निवासी—कमल सिंह का बाग, शिन्दे की छावनी, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.) को फर्म से हटा दिया गया है भविष्य में फर्म से संबन्धित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा शेष सभी साझेदार फर्म से संबन्धित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदारों को स्वीकार है.

मैसर्स श्रोत्रिय कन्स्ट्रक्शन,

SHYAM SUNDAR SHROTRIYA

(पार्टनर).

(671-बी.)

**NOTICE****NOTICE UNDER SECTION 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given for public information that following changes in the M/s KASLIWAL ELECTRICALS having Registration No. IF/44/99-2000, Shri Aman Kasliwal S/o Shri Ajay Kasliwal has been admitted as partner in the partnership business of the firm M/s KASLIWAL ELECTRICALS (Registration No. is IF/44/99-2000) with effect from 03-04-2014.

For-KASLIWAL ELECTRICAL  
**PARAS KUMAR,**  
(Partner).

(672- B.)

**PUBLIC NOTICE**

This is to inform to all persons that following amendment have been made in partnership Firm GREEN ADVENTURE CO. having its place of business at flat No. 102, Plot Number 21, E-5 Arera Colony, Bhopal (M.P.) incorporated on 2<sup>nd</sup> February, 2015 and registered vide registration No. 01/01/01/0585/15, Dated 16<sup>th</sup> March, 2015 with registrar of firms Bhopal:-

1. That Mr. Sachin Atulkar S/o Mr. D.P. Atulkar had retired from Firm *vide* Amendment in partnership deed dated 3rd February, 2016.
2. That Mr. Anas Khan S/o Mr. A. A. Khan had admitted into partnership firm *vide* Amendment in Partnership deed dated 3rd February, 2016.

M/S GREEN ADVENTURE CO.  
**NASAR KHAN,**  
**ANAS KHAN,**  
( Partner ).

(673- B.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स शिव देव डवलपर्स स्थित एम-21, दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00031/10, दिनांक 05-05-2010 है. जिसमें दिनांक 05-06-2014 को भागीदार श्रीमति तेजाबाई भदौरिया पत्नी श्री शिवराम सिंह भदौरिया, निवासी भगतसिंह नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गई हैं एवं दिनांक 13-07-2015 को श्री शिवांग सिंह भदौरिया पुत्र श्री डी. बी. एस. भदौरिया, निवासी-एम. 21, दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. सर्वजन सूचित हो.

मैसर्स शिव देव डवलपर्स,  
**सूवेदार सिंह,**  
( भागीदार )  
एम-21, दर्पण कॉलोनी ठाटीपुर,  
ग्वालियर (म.प्र.).

(675-बी.)

**विविध****आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं**

कार्यालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर

अशोकनगर, दिनांक 02 फरवरी, 2016

क्र. क्यू/एस.सी.-2/9-20/2016/2464.—सामान्य पुस्तक भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के नियम-05 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/2010/1/4, दिनांक 26 नवम्बर, 2010 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अरूण कुमार तोमर, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, वर्ष-2016 के लिए अशोकनगर जिले के लिये 03 स्थानीय अवकाश (लोकल हॉलीडे) पूर्ण दिवस के निम्नानुसार

घोषित करता हूँ:—

क्र.	दिनांक	दिन (वार)	अवकाश का नाम
1.	28 मार्च, 2016	सोमवार	रंग पंचमी
2.	19 अगस्त, 2016	शुक्रवार	भुजरिया (रक्षाबंधन)
3.	31 अक्टूबर, 2016	सोमवार	दीपावली का दूसरा दिन

यह अवकाश कोषालय, उप-कोषालय एवं बैंकों पर लागू नहीं होंगे.

अरूण कुमार तोमर,

कलेक्टर.

(194)

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-खण्डवा, जिला खण्डवा

प्र.क्र.01/बी-113(1)/2015-16.

दिनांक 22 जनवरी, 2016 को जारी

( प्रारूप-चार )

[ मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962, के नियम-5 (1)के अन्तर्गत ]

जैसा कि डॉ. राकेश कुमार सोनी, खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 26 फरवरी, 2016 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो-प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

#### अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता.	:	इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट फाउंडेशन, खण्डवा.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 21,000/- नगद.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

(182)

प्र.क्र.01/बी-113(1)/2014-15.

दिनांक 22 जनवरी, 2016 को जारी

( प्रारूप-चार )

[ मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962, के नियम-5 (1)के अन्तर्गत ]

जैसा कि कैलाश पिता फत्तुलाल मालाकार, निवासी सिहाडा, तहसील खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 26 फरवरी, 2016 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो-प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

## अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता.	:	माली समाज धर्मशाला ट्रस्ट, सिहाडा.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 1292/- नगद.
अचल सम्पत्ति	:	1. ग्राम सिहाडा कृषि भूमि खसरा नम्बर 762 रकबा 0.510 हे. 2. आबादी में 15 × 100 का टीन शेड 3. आर आर सी भवन (धर्मशाला) 35 × 120

शाश्वत शर्मा,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(182-A)

## कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन

प्र. क्र. 08/बी-113/2015-16.

उज्जैन, दिनांक 17 फरवरी, 2016

( प्रारूप-चार )

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,

लोक न्यास, उज्जैन,

जिला उज्जैन के समक्ष.

चौंक आवेदक पंडित महेश पुजारी, मुख्य न्यासी द्वारा श्री परशुराम पारमार्थिक सेवा न्यास, उज्जैन, पता-भवन क्रमांक-9, प्रेम निवास, नईपेट, उज्जैन आदि ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 09 मार्च, 2016 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 09 मार्च, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

## अनुसूची

( लोक न्यास का नाम और पता तथा लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	..	श्री परशुराम पारमार्थिक सेवा न्यास, उज्जैन.
कार्यालय	..	भवन क्रमांक 9, प्रेम निवास, नईपेट, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	आवेदन-पत्र अनुसार अचल संपत्ति निरंक है.
चल सम्पत्ति	..	5000/- रु. बैंक खाते में जमा.

(183)

प्र. क्र. 07/बी-113/2015-16.

उज्जैन, दिनांक 19 फरवरी, 2016

( प्रारूप-चार )

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,

लोक न्यास, उज्जैन,

जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक वरिष्ठ अध्यक्ष श्री प्रकाश भावे ( ऊँ प्रकाश ऊँ ), पिता प्रमोद भावे द्वारा श्री पंचतंत्र कामधेनु न्यास, पता-9/8, बी-सेक्टर सी, महानंदानगर उज्जैन आदि ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22 मार्च, 2016 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 22 मार्च, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अधिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

### अनुसूची

( लोक न्यास का नाम और पता तथा लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन )

न्यास का नाम	..	श्री पंचतंत्र कामधेनु न्यास.
कार्यालय	..	9/8, डी सेक्टर सी, महानंदानगर उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	अचल संपत्ति निरंक है.
चल सम्पत्ति	..	आवेदन-पत्र अनुसार चल संपत्ति के रूप में 50,000/- रु. नगद है.

(184)

शितिज शर्मा,

पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

### न्यायालय तहसीलदार क्षेत्र लामता, जिला बालाघाट

रा. प्र. क्र. बी-113 वर्ष 2015-16.

मौजा-लामता रा.नि.म.लामता.

तहसील व जिला-बालाघाट.

आम जनता ग्राम लामता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अध्यक्ष विशाल नाईक पिता स्व. श्री सत्येन्द्र सिंह नाईक, वार्ड नं. 11, हूटी रोड लामता, जिला बालाघाट सचिव श्री विनीत कुमार नामदेव पिता श्री द्वारका प्रसाद नामदेव सह सदस्यों द्वारा संकट मोचन हनुमान मंदिर ट्रस्ट लामता के मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत ट्रस्ट के पंजीकरण हेतु ग्राम लामता में स्थित भूमि का खसरा नं. 101/1 में स्थित 1 एकड़ 80 डिसमिल भूमि का पंजीयन हेतु न्यायालय में आवेदन-पत्र मय बायलॉज एवं राशि रु. 250 का बैंक चालान, साथ ही आय-व्यय का ब्यौरा सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया है.



उक्त पंजीकरण हेतु किसी नागरिक द्वारा किसी भी तरह की आपत्ति या दावा प्रस्तुत करना या हित रखना चाहता है तो वह अपने आवेदन सहित स्वयं या अपने वैध प्रतिनिधी के द्वारा माननीय न्यायालय तहसीलदार क्षेत्र कार्यालय लामता में उपस्थित हो कर पेश कर सकता है, जो कि उद्घोषणा दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 से पेश दिनांक 15 जनवरी, 2016 के भीतर ही दावा या आपत्ति पेश कर सकते हैं. इसके पश्चात् अवधि पूर्ण होने के उपरांत किसी भी प्रकार की दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा.

उद्घोषणा मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जारी दिनांक :- 11-12-2015

पेशी दिनांक :- 11-03-2016

एस. आर. वर्मा,

तहसीलदार.

(195)

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

प्रगतिशील मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., अलगी, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 144, दिनांक 27 मार्च, 1983 के परिसमापक श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है साथ ही सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला शिवपुरी द्वारा भी पुनर्जीवन किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. जिससे सहमत होते हुये पूर्व संशोधित आदेश क्र./परि./1749, दिनांक 17 जुलाई, 2015 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है. संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये निर्मांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है, नामांकित प्रबंध समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने के साथ साथ प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार कार्य प्रारम्भ करें अन्यथा की स्थिति में संस्था के पुनः परिसमापन की कार्यवाही कर दी जावेगी.

1. श्री काशीराम	अध्यक्ष
2. श्रीमती पांचो	उपाध्यक्ष
3. श्री घनसू	सदस्य
4. श्री श्यामलाल	सदस्य
5. श्री नारायण	सदस्य
6. श्री डी. पी. राठौर, सह. निरी.	सदस्य

एस. के. सिंह,

उप-पंजीयक.

(184)

#### कार्यालय परिसमापक श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 22 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/107. — श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./एस.पी.आर./119, दिनांक 15 मार्च, 2011 है, को सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/467, श्योपुर, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत में, आर. के. गांगिल, सहकारी निरीक्षक, जिला श्योपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की

उपलब्ध लेखापुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव: मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 21 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. के. गांगिल,  
परिसमापक.

(185)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 11 फरवरी, 2016

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2016/269.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनोद, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 548, दिनांक 17 जून, 1983 है. संस्था प्रशासक श्री एस. डी. माधवाचार्य, व.स.नि. द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा भविष्य में चलाने की रूचि संस्था द्वारा नहीं ली जा रही है. इस कारण प्रशासक द्वारा उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम, 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनोद को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,  
उप-रजिस्ट्रार.

(186)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./2000/1176, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परि. में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	सहयोग बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., झरावेडा, तहसील श्यामपुर.	1261/28-08-2003	2015/1176/16-12-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सीलाखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर.	1456/30-10-2009	2015/1176/16-12-2015

अतः मैं, डी. सी. जैन, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

डी. सी. जैन,  
सहकारी निरीक्षक.

(187)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिकारखेडी, तहसली सेगांव, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक/के.आर.जी.एन./980, दिनांक 22 अप्रैल, 1993 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1099, दिनांक 27 जुलाई, 2010 द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. आर. भट्ट, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा दिनांक 08 जनवरी, 2016 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई. जिसमें आगामी दो वर्षों की कार्यायोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम, 69 (4) के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिकारखेडी, तहसील सेगांव, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक/के.आर.जी.एन./980, दिनांक 22 अप्रैल, 1993 निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है.

1. समिति की प्रस्तुत कार्यायोजना अनुसार अपना कार्य 3 माह में व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी.
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह की भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी.
3. समिति की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी.
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने तक श्री आर. आर. भट्ट, सहकारिता विस्तार अधिकारी के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी.

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निम्नांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी.

नामांकित कार्यकारिणी—

1. श्री जगन पिता राल्या	अध्यक्ष
2. श्री रामसिंह पिता नहारसिंह	उपाध्यक्ष
3. श्री अमरसिंह पिता फत्या	संचालक
4. श्री नाशला पिता रतन	संचालक
5. श्री कुवारसिंह पिता रघुनाथ	संचालक
6. श्री गोरेलाल पिवता गरल्या	संचालक
7. श्री गुलाब पिता वेस्ता	संचालक
8. श्री कदम पिता जुवानसिंग	संचालक
9. श्री नाशरिया पिता लालसिंह	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,  
उप-पंजीयक.

(188)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल

बैतूल, दिनांक 19 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./पुन./2016/65.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2013/773, दिनांक 31 अगस्त, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था

मर्या., गोरखार, पंजीयन क्रमांक 1564, दिनांक 10 सितम्बर, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/773, दिनांक 31 अगस्त, 2013 के द्वारा श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, आमला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 आम सभा ली गई. जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु निर्णय पारित किया गया है. परिसमापक द्वारा भी संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई. तदनुसार मेरी राय में संस्था द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक द्वारा की गई अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोरखार का अस्तित्व में रहना आवश्यक है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/773, दिनांक 31 अगस्त, 2013 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ.

आगामी आदेश पर्यन्त अथवा संस्था का निर्वाचन जो भी पहले हो संस्था का कामकाज संचालन हेतु 6 माह के लिये संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिहदा का निम्नानुसार प्रबंधकारिणी का गठन करता हूँ :-

क्र.	नाम	पद
1.	श्री पूरणसिंह धूर्वे	अध्यक्ष
2.	श्रीमती अनिता/चमन	उपाध्यक्ष
3.	श्री महादेव/चिरोजीलाल	संचालक
4.	श्री भैयालाल धूर्वे	संचालक
5.	श्री अश्विनी रावत	संचालक
6.	श्रीमती नैना नजरसिंग	संचालक
7.	श्रीमती जैना/घनश्याम	संचालक
8.	श्रीमती चन्द्रकला/हरिनारायण	संचालक
9.	श्रीमती रामकली/लोगा	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 19 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. व्ही. सोरते,  
उप-पंजीयक.

(189)

### कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, संभाग, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 19 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/283.—कार्यालयीन कारण बताओं सूचना-पत्र क्र./विधि/2016/81, ग्वालियर, दिनांक 13 जनवरी, 2016 के द्वारा जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., गुना जिसका पंजीयन क्रमांक जी. एन. ए./एच.ओ./102, दिनांक 12 सितम्बर, 1963 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है जिसे आगे विकास बैंक कहा गया है से:-

- विकास बैंक गुना लगातार तीन वर्षों से अकार्यशील होकर "द" वर्ग में वर्गीकृत है.
- विकास बैंक के ऋणों की वसूली निरंतर तीन वर्षों में 60 प्रतिशत से कम रही है.
- विकास बैंक के कालातीत ऋणों में लगातार वृद्धि हो रही है एवं कालातीत ऋणों की वसूली लगभग शून्य है.
- विकास बैंक की ऋण वसूली निर्धारित प्रतिशत से कम होने के परिप्रेक्ष्य में 30 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. जिसके संबंध में विकास बैंक गुना द्वारा अपने उत्तर दिनांक 12 फरवरी, 2016 में पत्र क्रमांक/स्थापना/परि./2015-16/455, गुना दिनांक 10 फरवरी, 2016 द्वारा अवगत कराया है कि संचालक मण्डल (प्रशासक) की बैठक दिनांक 20 जनवरी, 2016 में निर्णय उपरांत दिनांक 08 फरवरी, 2016 को आयोजित विशेष साधारण सभा में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया. विशेष साधारण सभा दिनांक 08 फरवरी, 2016 के निर्णय क्रमांक 1 के अनुसार सभा द्वारा सभी बिन्दुओं पर विचार उपरांत जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., गुना को परिसमापन में लाये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मैं एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संभाग ग्वालियर जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., गुना, जिसका पंजीयन क्रमांक जी. एन. ए./एच.ओ./102, दिनांक 12 सितम्बर, 1963 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उपेन्द्र सिंह, उपायुक्त, सहकारिता, गुना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(190)

ग्वालियर, दिनांक 19 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/284.—कार्यालयीन कारण बताओं सूचना-पत्र क्र./विधि/2016/78, ग्वालियर, दिनांक 13 जनवरी, 2016 के द्वारा जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक जी. डब्ल्यू. एल. आर./एच.ओ./99, दिनांक 12 मार्च, 1963 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है जिसे आगे विकास बैंक कहा गया है से:-

1. विकास बैंक ग्वालियर लगातार तीन वर्षों से अकार्यशील होकर "द" वर्ग में वर्गीकृत है.
2. विकास बैंक के ऋणों की वसूली निरंतर तीन वर्षों में 60 प्रतिशत से कम रही है.
3. विकास बैंक के कालातीत ऋणों में लगातार वृद्धि हो रही है एवं कालातीत ऋणों की वसूली लगभग शून्य है.
4. विकास बैंक की ऋण वसूली निर्धारित प्रतिशत से कम होने के परिप्रेक्ष्य में 30 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. जिसके संबंध में विकास बैंक ग्वालियर द्वारा अपने उत्तर दिनांक 11 फरवरी, 2016 में पत्र क्रमांक/स्थापना/परि./2015-16/381, ग्वालियर दिनांक 11 फरवरी, 2016 के द्वारा अवगत कराया है कि विकास बैंक ग्वालियर द्वारा अपनी आयोजित विशेष वार्षिक साधारण सभा दिनांक 10 फरवरी, 2016 के निर्णय क्र. 1 के अनुसार सभा द्वारा सभी बिन्दुओं पर विचार उपरांत जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मैं एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संभाग ग्वालियर जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक जी. डब्ल्यू. एल. आर./एच.ओ./99, दिनांक 12 मार्च, 1963 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय दलेला, उपायुक्त, सहकारिता ग्वालियर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(190-A)

ग्वालियर, दिनांक 19 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/285.—कार्यालयीन कारण बताओं सूचना-पत्र क्र./विधि/2016/80, ग्वालियर, दिनांक 13 जनवरी, 2016 के द्वारा जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक एस. पी./आर.आई./एच.ओ./83, दिनांक 16 मार्च, 1962 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है जिसे आगे विकास बैंक कहा गया है :-

1. विकास बैंक शिवपुरी लगातार तीन वर्षों से अकार्यशील होकर "द" वर्ग में वर्गीकृत है.
2. विकास बैंक के ऋणों की वसूली निरंतर तीन वर्षों में 60 प्रतिशत से कम रही है.
3. विकास बैंक के कालातीत ऋणों में लगातार वृद्धि हो रही है एवं कालातीत ऋणों की वसूली लगभग शून्य है.
4. विकास बैंक की ऋण वसूली निर्धारित प्रतिशत से कम होने के परिप्रेक्ष्य में 30 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. जिसके संबंध में विकास बैंक शिवपुरी द्वारा अपनी विशेष साधारण सभा दिनांक 04 फरवरी, 2016 के निर्णय क्र. 1 एवं 2 के अनुसार सभा द्वारा सभी बिन्दुओं पर विचार उपरांत जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., शिवपुरी को परिसमापन में लाये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये मैं एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संभाग ग्वालियर जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक एस. पी./आर.आई./एच.ओ./83, दिनांक 16 मार्च, 1962 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुनील कुमार सिंह, उपायुक्त, सहकारिता, शिवपुरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(190-B)

ग्वालियर, दिनांक 19 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/289.—कार्यालयीन कारण बताओं सूचना-पत्र क्र./विधि/2016/79, ग्वालियर, दिनांक 13 जनवरी, 2016 के द्वारा जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक डी. टी. ए./एच. ओ./93, दिनांक 14 जनवरी, 1963 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है जिसे आगे विकास बैंक कहा गया है :-

1. विकास बैंक दतिया लगातार तीन वर्षों से अकार्यशील होकर "द" वर्ग में वर्गीकृत है.
2. विकास बैंक की वसूली निरंतर तीन वर्षों में 60 प्रतिशत से कम है.
3. विकास बैंक के कालातीत ऋणों में लगातार वृद्धि व ऋणों की वसूली लगभग शून्य है.
4. विकास बैंक की ऋण वसूली निर्धारित प्रतिशत से कम होने के परिप्रेक्ष्य में 30 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये दिनांक 16 फरवरी, 2016 को पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु आहूत किया गया था, किन्तु विकास बैंक द्वारा निर्धारित समयावधि में उत्तर/अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्वतः स्पष्ट है कि दिनांक 13 जनवरी, 2016 को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप कि विकास बैंक निरंतर तीन वर्षों से अकार्यशील है. अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विकास बैंक लगातार "द" वर्ग में वर्गीकृत है, विकास बैंक के ऋणों की वसूली निरंतर तीन वर्षों में 60 प्रतिशत से कम रही है. इससे विकास बैंक सहमत है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (डी/घ) " जहां कोई प्राथमिक उधार सोसायटी के सदस्यों से अपनी पूरी अतिशोध्य मांग लगातार तीन सहकारी वर्षों तक वसूल न करके व्यतिक्रम करती रहे तथा अतिष्ठान के पश्चात् भी वह सोसायटी पूरी अतिशोध्य मांग वसूली में असफल रहे" के अनुसार विकास बैंक दतिया का वसूली प्रतिशत वर्ष 2012-13 में 10 प्रतिशत, 13-14 में 8 प्रतिशत, 14-15 मात्र 3 प्रतिशत रहा है. विकास बैंक के संचालक मण्डल को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2015/751, दिनांक 07 मई, 2015 से धारा-53 (12) के अंतर्गत अतिष्ठान कर प्रशासक नियुक्त किया गया. इसके उपरांत भी दिनांक 30 जून, 2015 की स्थिति पर बैंक की वसूली मात्र 3 प्रतिशत रही है. जिससे यह स्पष्ट है कि प्रशासक नियुक्त होने के उपरांत भी वसूली में कोई प्रगति नहीं हुई है तथा बैंक अपने शोध्यों को वसूल करने में असफल रही है.

विकास बैंक के कालातीत ऋणों में लगातार वृद्धि हो रही है एवं कालातीत ऋणों की वसूली लगभग निरंक तथा विकास बैंक का ऋण व्यवसाय शून्य है. विकास बैंक अकार्यशील होने एवं ऋणों की वसूली निर्धारित प्रतिशत से कम होने से विकास बैंक लगातार तीन वर्षों से हानि में है. (संचित हानि वर्ष 12-13 में 712.23 लाख, वर्ष 13-14 में 1195.21 लाख एवं वर्ष 14-15 में 5061.08 लाख रही है).

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-3-3/2012/15-1, भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं सभी 38 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अकार्यशीलता एवं ऋण व्यवसाय बंद हो जाने से पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा इन विकास बैंकों को परिसमापन में लाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है. आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भूविअ/01/2015/8, दिनांक 07 जनवरी, 2016 से विकास बैंक पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मैं एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संभाग ग्वालियर, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक डी. टी. ए./एच. ओ./93, दिनांक 14 जनवरी, 1963 को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एच. पी. जाटव, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला दतिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एच. एम. सिंघल,  
संयुक्त-पंजीयक.

(190-C)

**कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, चंबल संभाग, मुरैना**

मुरैना, दिनांक 18 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/213.—कार्यालयीन कारण बताओं सूचना-पत्र क्र./विधि/2016/33, मुरैना, दिनांक 13 जनवरी, 2016 के द्वारा जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक एम. आर. ए./एच. ओ./82, दिनांक 14 मार्च, 1962 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है जिसे आगे विकास बैंक कहा गया है से :-

1. विकास बैंक मुरैना लगातार तीन वर्षों से अकार्यशील होकर "द" वर्ग में वर्गीकृत है.
2. विकास बैंक की वसूली निरंतर तीन वर्षों में 60 प्रतिशत से कम है.
3. विकास बैंक के कालातीत ऋणों में लगातार वृद्धि व वसूली लगभग शून्य है.
4. विकास बैंक की ऋण वसूली निर्धारित प्रतिशत से कम होने के परिप्रेक्ष्य में 30 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. जिसके उत्तर दिनांक 04 फरवरी, 2016 में विकास बैंक द्वारा जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया वह समाधान कारक नहीं है, क्योंकि विकास बैंक निरंतर तीन वर्षों से अकार्यशील है. अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विकास बैंक लगातार "द" वर्ग में वर्गीकृत है जो स्वतः अकार्यशील होने का प्रमाण है.

विकास बैंक के ऋणों की वसूली निरंतर तीन वर्षों में 60 प्रतिशत से कम रही है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(डी/घ) "जहां कोई प्राथमिक उधार सोसायटी के सदस्यों से अपनी पूरी अतिशोध्य मांग लगातार तीन सहकारी वर्षों तक वसूल न करके व्यतिक्रम करती रहे तथा अतिष्ठान के पश्चात् भी वह सोसायटी पूरी अतिशोध्य मांग वसूली में असफल रहे" के अनुसार विकास बैंक का वसूली प्रतिशत वर्ष 2012-13 में 15 प्रतिशत, 13-14 में 06.42 प्रतिशत एवं 14-15 में 04.45 प्रतिशत रहा है. विकास बैंक के संचालक मण्डल को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2014/880, दिनांक 16 जुलाई, 2014 से धारा-53 (12) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया. इसके उपरांत भी बैंक की वसूली वर्ष 14-15 में मात्र 4.45 प्रतिशत रही है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रशासक नियुक्त होने के उपरांत भी वसूली में कोई प्रगति नहीं हुई है में तथा बैंक अपने शोध्यों को वसूल करने में असफल रही है.

विकास बैंक के कालातीत ऋणों लगातार वृद्धि हो रही है एवं कालातीत ऋणों की वसूली लगभग निरंक है तथा विकास बैंक का ऋण व्यवसाय शून्य है. विकास बैंक अकार्यशील होने एवं ऋणों की वसूली निर्धारित प्रतिशत से कम होने से लगातार तीन वर्षों से हानि में है. (संचित हानि वर्ष 12-13 में 925.77 लाख, वर्ष 13-14 में 1143.56 लाख एवं वर्ष 14-15 में 1367.40 लाख) रही है.

साथ ही मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-3-3/2012/15-1, भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 द्वारा निर्देश हैं कि "मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं सभी 38 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अकार्यशीलता एवं ऋण व्यवसाय बंद हो जाने से पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा इन संस्थाओं के परिसमापन में लाये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे".

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये मैं एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, चंबल संभाग मुरैना, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक एम. आर. ए./एच. ओ./82, दिनांक 14 मार्च, 1962 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विनोद शर्मा, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(191)

मुरैना, दिनांक 18 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/214.—कार्यालयीन कारण बताओं सूचना-पत्र क्र./विधि/2016/34, मुरैना, दिनांक 13 जनवरी, 2016 के द्वारा जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भिण्ड, जिसका पंजीयन क्रमांक बी. एच. एन. डी./एच. ओ./76, दिनांक 25 फरवरी, 1962 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है जिसे आगे विकास बैंक कहा गया है से :-

1. विकास बैंक भिण्ड लगातार तीन वर्षों से अकार्यशील होकर "द" वर्ग में वर्गीकृत है.
2. विकास बैंक की वसूली निरंतर तीन वर्षों में 60 प्रतिशत से कम है.

3. विकास बैंक के कालातीत ऋणों में लगातर वृद्धि व वसूली लगभग शून्य है.
4. विकास बैंक की ऋण वसूली निर्धारित प्रतिशत से कम होने के परिप्रेक्ष्य में 30 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था. जिसके उत्तर दिनांक 12 फरवरी, 2016 में विकास बैंक द्वारा अपने पत्र क्रमांक/लेखा/2016/290, भिण्ड, दिनांक 12 फरवरी, 2016 द्वारा अवगत कराया है कि संचालक मण्डल (प्रशासक) की बैठक दिनांक 25 जनवरी, 2016 में निर्णय उपरांत दिनांक 10 फरवरी, 2016 को आयोजित विशेष साधारण सभा में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया विशेष साधारण सभा दिनांक 10 फरवरी, 2016 के निर्णय क्रमांक 1 के अनुसार सभा द्वारा सभी बिन्दुओं पर विचार उपरांत जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भिण्ड को परिसमापन में लाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये मैं एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, चम्बल संभाग मुरैना, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भिण्ड, जिसका पंजीयन क्रमांक बी. एच. एन. डी./एच. ओ./76, दिनांक 25 फरवरी, 1962 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री भारत सिंह चौहान, उपायुक्त, सहकारिता, भिण्ड को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एच. एम. सिंघल,  
संयुक्त-पंजीयक.

(191-A)

### कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/336.— महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिदनी, पंजीयन क्रमांक 1377, दिनांक 12 सितम्बर, 2013 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी संस्था में दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक श्री पी. के. जैन द्वारा दी गई है. जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है एवं पर्यवेक्षक द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिदनी, पंजीयन क्रमांक 1377, दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(192)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/337.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिड़ावद, पंजीयन क्रमांक 280, दिनांक 18 जनवरी, 1976 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी संस्था में दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक श्री पी. के. जैन द्वारा दी गई है. जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है एवं पर्यवेक्षक द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिड़ावद, पंजीयन क्रमांक 280, दिनांक 18 जनवरी, 1976 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(192-A)



देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/338.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिवडिया, पंजीयन क्रमांक 1455, दिनांक 18 जुलाई, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिवडिया, पंजीयन क्रमांक 1455, दिनांक 18 जुलाई, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(192-B)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/339.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लीली, पंजीयन क्रमांक 1310, दिनांक 30 मार्च, 2013 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लीली, पंजीयन क्रमांक 1310, दिनांक 30 मार्च, 2013 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(192-C)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/340.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खारिया, पंजीयन क्रमांक 1438, दिनांक 19 जून, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खारिया, पंजीयन क्रमांक 1438, दिनांक 19 जून, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(192-D)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/341.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रंथा, पंजीयन क्रमांक 1422, दिनांक 15 मई, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रंथा, पंजीयन क्रमांक 1422, दिनांक 15 मई, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-E)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/342.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डाबरी, पंजीयन क्रमांक 1396, दिनांक 30 जनवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डाबरी, पंजीयन क्रमांक 1396, दिनांक 30 जनवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-F)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/343.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेहदुल, पंजीयन क्रमांक 1394, दिनांक 30 जनवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेहदुल, पंजीयन क्रमांक 1394, दिनांक 30 जनवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-G)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/344.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दूधवास, पंजीयन क्रमांक 1393, दिनांक 30 जनवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दूधवास, पंजीयन क्रमांक 1393, दिनांक 30 जनवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-H)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/345.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटासा, पंजीयन क्रमांक 1386, दिनांक 06 जनवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटासा, पंजीयन क्रमांक 1386, दिनांक 06 जनवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-I)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/346.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काकरिया, पंजीयन क्रमांक 1385, दिनांक 06 जनवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काकरिया, पंजीयन क्रमांक 1385, दिनांक 06 जनवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-J)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/347.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरछाखुर्द, पंजीयन क्रमांक 1384, दिनांक 06 जनवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरछाखुर्द, पंजीयन क्रमांक 1384, दिनांक 06 जनवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-K)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/348.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सवासडी, पंजीयन क्रमांक 1291, दिनांक 07 फरवरी, 2013 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सवासडी, पंजीयन क्रमांक 1291, दिनांक 07 फरवरी, 2013 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-L)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/349.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोला, पंजीयन क्रमांक 1311, दिनांक 30 मार्च, 2013 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोला, पंजीयन क्रमांक 1311, दिनांक 30 मार्च, 2013 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-M)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/350.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरियासाहू, पंजीयन क्रमांक 1016, दिनांक 09 जुलाई, 2002 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरियासाहू, पंजीयन क्रमांक 1016, दिनांक 09 जुलाई, 2002 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. पी. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-N)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/351.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलफोडखेडा, पंजीयन क्रमांक 1468, दिनांक 04 अगस्त, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलफोडखेडा, पंजीयन क्रमांक 1468, दिनांक 04 अगस्त, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-O)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/352.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिल्लादा, पंजीयन क्रमांक 1515, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिल्लादा, पंजीयन क्रमांक 1515, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-P)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./16/353.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुनगासा, पंजीयन क्रमांक 1514, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुनगासा, पंजीयन क्रमांक 1514, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(192-Q)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./16/354.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अडानिया, पंजीयन क्रमांक 1500, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अडानिया, पंजीयन क्रमांक 1500, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(192-R)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./16/355.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डाबर, पंजीयन क्रमांक 1398, दिनांक 03 फरवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डाबर, पंजीयन क्रमांक 1398, दिनांक 03 फरवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(192-S)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/356.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नांदी, पंजीयन क्रमांक 1466, दिनांक 02 जुलाई, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नांदी, पंजीयन क्रमांक 1466, दिनांक 02 जुलाई, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(192-T)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/357.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खपरवास, पंजीयन क्रमांक 1450, दिनांक 10 जुलाई, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खपरवास, पंजीयन क्रमांक 1450, दिनांक 10 जुलाई, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(192-U)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/358.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कर्णाबुजुर्ग, पंजीयन क्रमांक 1456, दिनांक 18 जुलाई, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कर्णाबुजुर्ग, पंजीयन क्रमांक 1456, दिनांक 18 जुलाई, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(192-V)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/359.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिपरास, पंजीयन क्रमांक 1460, दिनांक 21 जुलाई, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिपरास, पंजीयन क्रमांक 1460, दिनांक 21 जुलाई, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-W)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/360.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरोनी, पंजीयन क्रमांक 1469, दिनांक 04 अगस्त, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरोनी, पंजीयन क्रमांक 1469, दिनांक 04 अगस्त, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-X)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/361.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैसून, पंजीयन क्रमांक 1476, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैसून, पंजीयन क्रमांक 1476, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-Y)



देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/362.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडियासोण्डा, पंजीयन क्रमांक 1050, दिनांक 19 फरवरी, 2003 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडियासोण्डा, पंजीयन क्रमांक 1050, दिनांक 19 फरवरी, 2003 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(192-Z)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/363.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दखनीपुर, पंजीयन क्रमांक 1495, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दखनीपुर, पंजीयन क्रमांक 1495, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(193)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/364.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भंवरा, पंजीयन क्रमांक 1489, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है। इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था। परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भंवरा, पंजीयन क्रमांक 1489, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(193-A)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/365.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोडरिया, पंजीयन क्रमांक 1140, दिनांक 15 मई, 2011 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोडरिया, पंजीयन क्रमांक 1140, दिनांक 15 मई, 2011 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(193-B)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/366.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालमखेडी, पंजीयन क्रमांक 1428, दिनांक 06 जून, 2006 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालमखेडी, पंजीयन क्रमांक 1428, दिनांक 06 जून, 2006 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(193-C)

देवास, दिनांक 16 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/367.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुष्पगिरी, पंजीयन क्रमांक 1480, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा दी गयी है. इससे संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. परंतु निर्धारित दिनांक को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुष्पगिरी, पंजीयन क्रमांक 1480, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(193-D)

के. एन. त्रिपाठी,  
उप-पंजीयक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2016-फाल्गुन 21, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के अशोकनगर, पन्ना, सतना, छिन्दवाड़ा जिलों को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक. —तहसील ईसागढ़ ( अशोकनगर ), पन्ना ( पन्ना ), रघुराजनगर, उचेहरा, मैहर ( सतना ), अमरवाड़ा ( छिन्दवाड़ा ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मंदसौर, देवास, झाबुआ, भोपाल, सीहोर, कटनी, डिण्डोरी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला झाबुआ में फसल गेहूँ चना व कटनी में चना, मटर व डिण्डोरी में गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर व श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मंदसौर, उज्जैन, आगर, देवास, धार, इन्दौर, खरगौन, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला होशंगाबाद, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी में फसल धान व पन्ना, अनूपपुर, सीधी, सिवनी व बालाघाट में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, देवास, झाबुआ, बड़वानी, रायसेन, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2015

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगाड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलंगढ़ 6. कैलारस	. . . . . . . . . . . .				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, बाजरा, तिल, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, मूँगफली, कपास, गन्ना. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	. . . . . .				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन	. . . . . . . . . . . . . .				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	. . . . . . . .				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर	. . 0.7 . .				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास	. . . . . . . . . . . . . . . .				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	11.0		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ज्वार, गन्ना .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	7.0		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ... 4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूं, चना, मसूर अलसी, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	6.0				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	2.0				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	6.0				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>*जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदो कुटकी, सोयाबीन, तुअर, उड़द कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. गोहपारु	..				
4. जैसिंहनगर	..				
5. बुढार	..				
6. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, कोदो कुटकी, राई, अलसी, चना, गेहूं कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, ज्वार, तिल, को. कुटकी, उड़द, मूँगफली, तुअर, बाजरा अधिक. धान, मूँग, रामतिल, सोयाबीन, राई-सरसों, अलसी कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई, सरसों कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
<b>*जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापिपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. कपास कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ चना की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, तुअर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, मूँगफली, सोयाबीन अधिक. ज्वार, बाजरा, उड़द, कपास, तुअर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. कपास. मक्का, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
<b>*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ....	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मूँग, मक्का, धान, मूँगफली, तुअर, उड़द, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) धान, ज्वार, सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, मूँगफली, अधिक. गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..अधिक.				
8. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. टिमरनी	..				
<b>*जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) ..	6. ...	8. ..
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, मसूर की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) धान, तुअर, ज्वार.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, उड़द, गन्ना, मूँग. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा	. . . . . . . . . .				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) मक्का, सन, तिल, धान, उड़द, तुअर, कोदों-कुटकी, सोयाबीन. समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	. . . . . . . . . . . .				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर, की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा	. . . . . .				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांडुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. हरई 11. मोहखेड़ा	. . . . . . . . . . . . 2.2 . . . . . . . . . .				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा राई सरसों, अलसी. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. उरई 6. घंसौर 7. घनोरा 8. छपारा	. . . . . . . . . . . . . . . .				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर	. . . . . . . . . . . .				

टीप.— \*जिला रीवा, सिंगरौली, राजगढ़, जबलपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,  
आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.